अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्या ११३ ।

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 2128/27-06-19, २० । आवेदन सं० 19946 & 19947 / 18.06.19, २० ।

चूकि श्री Branch Manager, Oriental Bank of Commerce, Muzaffarpur For Mukesh Kumar ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संम्बन्ध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में कहीं १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2007 २० से ता० 18.06.2019 २० ..... तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(1)	मौजा मिठनपुर लाला वार्ड नं० 38 जो & Mcc 49 थाना नं० 410 थाना बेला अंचल मुशहरी		खाता नं० 110	खेसरा नं० 387	रकबा ए० - डी० ०० - 06			
(2)	मौजा [illegible] थाना नं० 283 थाना [illegible] अंचल मुशहरी		31	26	०० = 25.76 कुल रकबा ०० = 31.76 (इकतीस दशमलव सात छः हजार डीसमल मात्र)			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें।

२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक कमान दर्ज करें।

बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार को पता नहीं चला हैं।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

कार्यालय

तारीख

मोहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी :- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने उपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रमाण पड़ता हों।